

डिग्री बमुकदमें ईत्तादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

पीठासीन अधिकारी:-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-77/2018

1. मनदीपसिंह पुत्र जगजीतसिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।
-वादी

बनाम

1. प्रीतमसिंह पुत्र मेहरसिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।
2. जगसीरसिंह पुत्र प्रीतमसिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।
3. गमदूरसिंह पुत्र प्रीतमसिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।
4. जगजीतसिंह पुत्र प्रीतमसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।
5. नक्षत्रकौर पुत्री प्रीतमसिंह पत्नी परमपालसिंह जाति जट सिख निवासी मल्लेकां तहसील व जिला सिरसा।
6. गुरमीतकौर पुत्री प्रीतमसिंह पत्नी केवलसिंह जातिजट सिख निवासी मल्लेकां तहसील व जिला सिरसा।
7. लखविन्द्र कौर पुत्री जगजीतसिंह पत्नी गुरसेवकसिंह जाति जटसिख निवासी पोहड़का तहसील व जिला सिरसा।
8. किरनवीर कौर पुत्री जगजीतसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।
-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री संजय कुमार शर्मा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री महावीर प्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है:-प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की चक नं. 1 एनडीआर जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 76 मुशतरका खाता संख्या 9 में कुल रकबा 4.328 है. में से .359 है. व चक नं. 2 एनडीआर जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 मुशतरका खाता संख्या 5 का रकबा 5.946 में से .495 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चक नं. 1 एनडीआर के खाता संख्या 9 व चक नं. 2 एनडीआर के खाता संख्या 5 में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में वादी के नाम से अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुल्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 2.8.12.18 अदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 2.8.12.18 को जारी किया गया।



(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी